न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 42/2021 **GCMS 2021/48**

वादीगण

1. किशनलाल पुत्र हणमान दास जाति साद निवासी कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री प्रवीण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 05/03/2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2620/2372 रकबा 4.21 हैक्टर भूमि का हिस्सा अन्य सह खातेदारों के साथ संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेख में दर्ज है, राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम गलती से किशनलाल पुत्र हणमान दास साद के स्थान पर किशना पि. हणमान दास साद अभिलिखित हो गया है, सम्पूर्ण विधिक दस्तावेजों यथा–आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड समस्त में प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र हणमानदास साद ही दर्ज है, किशनलाल के स्थान पर किशना दर्ज किया गया है जो मात्र एक लिपिकीय त्रुटी है जिसका ज्ञान प्रार्थी को राजस्व अभिलेख की प्रतियॉ प्राप्त होने पर हुई है, प्रार्थी का नाम किशनलाल के स्थान पर किशना अभिलिखित किया जाना मात्र लिपिकीय त्रुटी हुई है जिसमें सुधार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, इस सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 4(1) राज. 6/2002/19दिनॉक 18.06.2017 के द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में काश्तकारो का नाम सम्मान सूचक न होने के कारण संशोधन कर दिया जावें। अतः प्रार्थी का नाम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2620/2372 में किशना के स्थान पर किशनलाल पुत्र हणमान दास साद संशोधित किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के अनुसार कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2620/2372 रकबा 4.21 हैक्टर भूमि किशनलाल पुत्र हणमान दास दास का हिस्सा अन्य सहखातेदारों के साथ

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अभिलिखत है एवं सम्वत 2074–2077 में नगरपालिका के नाम दर्ज है तथा उपरोक्त परिपत्र अनुसार काश्तकारों का नाम सम्मान सूचक न होने के कारण संशोधन कर दिया जावे।

प्रार्थी की ओर से नकल खतौनी 2070–2073 की प्रति, राशन कार्ड संख्या 111300900075 की छाय प्रति, पेन कार्ड AHLP7876K की छाया प्रति, आधार कार्ड 204946049745 की छाया प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र RJ/25/195/249013 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, जिन्होने कथन किया है कि प्रार्थी किशना पुत्र हणमान दास साद का वास्तविक सही नाम अन्य सभी दस्तावेज में किशनलाल पुत्र हणमान दास अंकित है जो राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनॉक 18.06.2017 अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074–2077 में प्रार्थी का नाम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2620 / 2372 रकबा 4.21 हैक्टर बारानी प्रथम में अन्य सह खातेदारान के साथ लालदास जीतमल किशना पि. हणमानदास जाति साद सा. देह खातेदार [redacted] दर्ज है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजात में किशन लाल पुत्र हणमानदास अंकित चला आ रहा है जिससे राजस्व रेकार्ड में सुधार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त दस्तावेज का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रार्थी का नाम सम्मान सूचक किशन लाल पुत्र हणमानदास जाति साद किया जाना साबित है, अतः निम्न प्रकार आदेश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2620 / 2372 मे प्रार्थी का दर्ज नाम किशना पुत्र हणमानदास जाति साद सा. देह खातेदार के स्थान पर किशन लाल पुत्र हणमानदास जाति साद सा. देह खातेदार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जावे शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे तथा इसी प्रकार नाम पढ़ा दिये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम शुद्व किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 05/03/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)